POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 23.06.2024

1.कूटरचित दस्तावेज भेजकर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा ठगी द्वारा अर्जित 7,61,486 रुपये फ्रीज।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **23.06.2024** को थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये धोखाधडी कर बेरोजगार लोगो को नौकरी दिलाने का झांसा देकर कूटरचित दस्तावेज भेजकर ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों भगवंता सिंह पुत्र भूरी 2. हर्ष परिहार पुत्र खेमचंद्र को एच ब्लॉक 95 स्थित कम्पनी से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा SRBS Bhartiya Airways कंपनी जो एच 95 सेक्टर-63 गौतमबुद्धनगर मे स्थित है के नाम से बेरोजगार लोगो को नौकरी दिलाने का झांसा देकर एविएशन की फर्जी ट्रेनिंग कराकर कूटरचित सर्टिफिकेट व ऑफर लेटर देकर रुपये ऐंठते थे तथा बेरोजगारों को न तो नौकरी देते थे न ही उनके रुपये वापस करते थे। अभियुक्तगण नौकरी की तलाश कर रहे ऐसे बेरोजगार लोगो को टार्गेट करते थे जिनका एविएशन या एयरपोर्ट से कोई वास्ता न हो, उनका इन्टरनेट से उनका डाटा उठाकर नौकरी के लिए कॉल करते थे और उसको बताते थे कि आपका सेलेक्शन हमारी कंपनी SRBS Bhartiya Airways में हो गया है। जिसमें आपको महीने की 35 से 40 सैलरी के साथ रहना, खाना, मेडिकल, पीएफ, आने-जाने का खर्चा आदि कंपनी की तरफ से दिया जायेगा तथा आपकी नौकरी अर्द्ध सरकारी होगी। अभियुक्तगण बेरोजगारो को यकीन दिलाने के लिए कंपनी का बनाया हुआ फर्जी ऑफर लेटर ई-मेल के माध्यम से भेज देते थे जिसमें एविएशन कोर्स की मांग की जाती थी। ऑफर लेटर मिलने के बाद बेरोजगार व्यक्ति अभियुक्तगण पर यकीन कर लेता था कि वास्तव मे उसकी नौकरी लग गयी है। बेरोजगारों से उनके शिक्षा संबंधी दस्तावेजों के साथ एविएशन सर्टिफिकेट SRBS BHARTIYA AIRWAYS की ई-मेल hr@bhartiyaairways.com पर भेजने के लिए बोलते थे। इस पर बेरोजगार व्यक्ति एविएशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने मे असमर्थता व्यक्त करता था, जिस पर अभियुक्तगण अपने द्वारा संचालित किये जा रहे BRD Institute India pvt Ltd और Eagle Aviation को सस्ता और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान बता कर अपनी बातों में फंसा लेते थे। एडमीशन करवाने के बाद SRBS BHARTIYA AIRWAYS द्वारा अभ्यर्थी से एविएशन शिक्षण संस्थान से NOC लेकर आने के लिए कहा जाता था और NOC न देने पर अन्य अभ्यर्थी के आवेदन को वरीयता देना बताया जाता था। अभ्यर्थी जब BRD Institute India pvt Ltd और Eagle Aviation से NOC की माँग करता था तो अभियुक्तगणों के अन्य साथी पहले पूरी फीस अदा करने के लिए कहते थे जिसपर नौकरी हाथ से जाते देख मजबूरीवश अपने मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों से उधार लेकर बकाया फीस अदा करता था, फीस भरते ही उससे और रुपये ऐंठने के लिए उससे प्रोजेक्ट के नाम पर 5000 और मांगे जाते थे। अभ्यर्थी कोई रास्ता न देखकर वो पैसे भी अदा कर देता था। पैसे ऐंठने के बाद अभ्यर्थी से इंटरव्यू के नाम पर अंग्रेजी में ऊटपटांग सवाल पूछे जाते थे जिसका जवाब न दे पाने पर उसे फेल करके भगा दिया जाता था। अगर कोई अभ्यर्थी किसी तरह इंटरव्यू पास भी कर

जाता था तो उसे ट्रेनिंग के नाम पर बिना कोई सेलरी अदा किये अन्य बेरोजगारों को फँसाने के लिए काल करवाये जाते थे। बिना किसी आय के कार्य करते हुए जब अभ्यर्थी खर्चों से परेशान होकर बेदम हो जाता था तो वह स्वयं कम्पनी को छोड़कर चला जाता था और यदि कोई विरोध करता था तो उसे अपने जानने वाले वकीलों से मिलीभगत करके लीगल नोटिस भेजकर कम्पनी को नुकसान पहुँचाने के एवज में हर्जाने के रुपये में 5,00,000 रुपयों की माँग की जाती थी। जिसपर अभ्यर्थी और उसके परिजन परेशान होकर घर बैठ जाते थे। एविएशन के नाम पर प्रति बेरोजगार से 50000 रुपये लेकर एविएशन का फर्जी कोर्स कराकर HOSPITALITY का सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। अभियुक्तगण द्वारा एविएशन कोर्स के नाम पर बेरोजगारो से रुपये लेकर ठगी कर न तो अपनी कंपनी मे तथा न ही दूसरी कंपनी मे नौकरी दिलायी जाती थी।

अभियुक्तो का विवरण--

1. भगवन्ता सिहं पुत्र भूरी सिहं निवासी ग्राम व थाना कामा, जिला डीग, राजस्थान व हाल पता बी-304, सेक्टर-3 थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा
2. हर्ष परिहार पुत्र खेमचन्द्र निवासी 2087/A-11, गली न0 21, प्रेम नगर, पटेल नगर थाना आनन्द पर्वत, दिल्ली

बरामदगी का विवरण--

4 अदद लैपटाप , 07 अदद मोबाईल, 14 अदद Airport Management सर्टिफिकेटस, 2 अदद Metro Management सर्टिफिकेटस, 01 एक अदद डिप्लोमा इन मैट्रो मैनेजमेन्ट सर्टिफिकेट तथा 08 खाली सर्टिफिकेट आफ एचीवमेन्ट भारतीय एयरवेज के तथा कुल 178 अदद Hospitality सर्टिफिकेटस, 06 अदद मोहर, 13 एयरटेल 5 जी पोस्टपेड सिंम कार्ड तथा कुल 17 जियो कम्पनी के खाली सिम रेपर व 76 AIRTEL 5 G पोस्टपेड के खाली सिम रेपर तथा 06 वर्क काल करने के लिये बेरोजगार का डाटा तथा 142 एडवरटाइजमेन्ट पम्पलैट तथा एक प्रति एयरपोर्ट ग्राउन्ड स्टाफ के कार्य की जानकारी प्रपत्र एक अदद कन्फर्मेशन लेटर व 46 अदद नोटबुक

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 272/24 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि0 थाना से0-63 नोएडा गौतमबुद्ध नगर

2.एंटी नारकोटिक्स टीम व थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा सयुंक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नोएडा/एनसीआर क्षेत्र में गाँजे की तस्करी करने वाले 03 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 24 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 03 लाख रूपये) बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक **23.06.2024** को एंटी नारकोटिक्स टीम व थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर सयुंक्त रूप से कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान उडीसा व बिहार राज्य से गांजा लाकर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में तस्करी करने वाले 03 शातिर अन्तर्राज्यीय तस्कर 1.अपूर्व राज पाण्डे पुत्र

राजकिशोर पाण्डे 2.ऋषिराज पुत्र प्रमोद कुमार 3.आयुष गुप्ता पुत्र मुकेश कुमार को शिवम मार्किट की तरफ के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 24 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा(कीमत लगभग 03 लाख रूपये) बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों उडीसा व बिहार से भारी मात्रा में वीआईपी बैग व अटैची में गांजा भरकर उसके ऊपर कपड़े रखकर दिल्ली, नोएडा, एनसीआर क्षेत्र में लाते है। बैग व अटैची में गांजा के ऊपर कपड़े इसीलिए रखते है, ताकि चेकिंग के दौरान बचा जा सके।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अपूर्व राज पाण्डे पुत्र राजकिशोर पाण्डे निवासी ग्राम बरहिमा मठिया थाना बरौली जिला गोपालगंज बिहार वर्तमान पता बी ब्लाक, सेक्टर-62, नोएडा उम्र 21 वर्ष।
2. ऋषिराज पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम सुल्तानपुर चकहरिहर थाना पातेपुर जिला वैशाली बिहार वर्तमान पता बी ब्लाक, सेक्टर-62, नोएडा उम्र 22 वर्ष।
3. आयुष गुप्ता पुत्र मुकेश कुमार निवासी मौहल्ला बारासैनी कस्बा सासनी जिला हाथरस उ0प्र0 वर्तमान पता बी ब्लाक, सेक्टर-62, नोएडा उम्र 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 24 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा(कीमत लगभग 03 लाख रूपये)